



राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, एकलव्य भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017
दूरभाष: 0141-2715523, E-mail: monitoring.rcse@gmail.com

क्रमांक: रा.मा.शि.प/जय/EC/2017-18/4284

दिनांक: 14/7/17

शासन सचिव,
स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग
शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय:- राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की 23 वीं बैठक दिनांक 13.07.2017 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 13.07.2017 को आयोजित की गई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की 23 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न कर अवलोकनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(जस्साराम त्रौधरी)

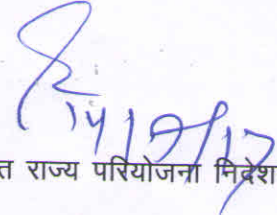
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

दिनांक: 14/7/17

क्रमांक: रा.मा.शि.प/जय/EC/2017-18/4284
प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज (राजस्थान), शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, 22 गोदाम पुलिया, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल, जयपुर।
8. निजी सचिव, आयुक्त/निदेशक, महिला सशक्तिकरण, झालाना डूंगरी, जयपुर।
9. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
10. निजी सहायक, निदेशक (आई.ई.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
11. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
12. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
13. निजी सहायक, निदेशक, संस्कृत शिक्षा, डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जयपुर।
14. निजी सहायक, निदेशक, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
15. निजी सहायक, निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर।
16. निजी सहायक, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
17. निजी सहायक, सचिव, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर।
18. निजी सहायक, शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. निजी सहायक, सचिव, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर।
20. श्रीमती शकुन्तला गट्टानी, प्रान्तीय सह मंत्री, जनजाति शिक्षा, राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद्, उदयपुर।
21. श्री जगदीश कुलमी, प्रान्तीय प्रकल्प प्रमुख, जनजाति शिक्षा, राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद्, उदयपुर।
22. श्री चतुर्भुज महावर, से.नि. उपनिदेशक (शिक्षा), बून्दी।

23. श्रीमती रचना आसोपा, जी.डी. कॉलेज, अलवर।
24. श्री रामअवतार, राजस्थान शिक्षक संघ, राष्ट्रीय, बून्दी।
25. श्रीमती इन्दिरा शर्मा, राजस्थान शिक्षक संघ, राष्ट्रीय, बून्दी।
26. श्री रामलाल जाट, प्रधान, अरांई, जिला अजमेर।
27. रेखा मीणा, प्रधान, पावटा जिला जयपुर।
28. विशेषाधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
29. नियंत्रक वित्त, रामाशिप, जयपुर।
30. उपायुक्त-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रामाशिप, जयपुर।
31. अधीक्षण अभियन्ता, रामाशिप, जयपुर।
32. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, समस्त रामाशिप, जयपुर को देकर लेख है कि अपनी शाखा से संबंधित अनुपालना सुनिश्चित करें।
33. उपनिदेशक/शाला दर्पण/सी.एस.आर. प्रभारी कार्यालय उपनिदेशक मा.शि. शिक्षा संकुल जयपुर।
34. एम.आई.एस. प्रभारी को देकर लेख है कि परिषद् की वेब पोर्टल पर अपलोड करावें।
35. कार्यालय प्रति।


अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की 23वीं बैठक
दिनांक 13.07.2017 का कार्यवाही विवरण

क्र.सं.	प्रस्ताव	निर्णय
1	प्रस्ताव संख्या- 01 निष्पादक समिति की दिनांक 29.06.2017 को आयोजित 22वीं बैठक में लिए गए निर्णय एवं अनुमोदित प्रस्तावों की क्रियान्विति अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।	अनुमोदन किया गया।
2	प्रस्ताव संख्या- 02 राज्य के राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु कोरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (Corporate Social Responsibility) के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं दानदाताओं/जन समुदाय से सहयोग राशि प्राप्त करने के लिये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अधीन राजस्थान एज्यूकेशन फण्डिंग पोर्टल एवं एज्यूकेशन फण्ड (शिक्षा कोष) स्थापित किया जाना प्रक्रियाधीन है। ज्ञान सकल्य पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष फण्ड स्थापित किये जाने के क्रम में वित्त विभाग एवं राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जो ध्वज 'अ' पर अवलोकनीय है— ज्ञान सकल्य पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष फण्ड के माध्यम से विद्यालयों के विकास हेतु प्राप्त राशि से परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निम्नानुसार व्यवस्था होगी :- - दानदाता/सीएसआर कम्पनी स्वयं अपनी परियोजना/गतिविधि क्रियान्वित कर सकती है। - दानदाता/सीएसआर कम्पनी स्वयं द्वारा चिन्हित सेवा प्रदाता के माध्यम से परियोजना /गतिविधि का क्रियान्वयन कर सकती है। - दानदाता/सीएसआर कम्पनी परियोजना/गतिविधि हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के माध्यम से परियोजना क्रियान्वित कर सकती है। - दानदाताओं द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में स्थापित एज्यूकेशन फंड में योगदान दिया जा सकता है, जिसका उपयोग राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के द्वारा राज्य सरकार की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार विद्यालयों के विकास हेतु किया जावेगा। ज्ञान सकल्य पोर्टल एवं मुख्यमंत्री विद्यादान कोष हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत एक बैंक खाता खुलवाया जाना, आयकर अधिनियम की धारा 12ए के अन्तर्गत छूट पाने के लिए आयकर विभाग को आवेदन किया जाना, एवं दानदाता को आयकर में 80जी के अन्तर्गत आयकर छूट प्रदान करने के लिये आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आयकर विभाग को आवेदन किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा इस फंड में विदेशी स्रोतों से योगदान प्राप्त करने के लिए Foreign Contribution Regulation Act के तहत पंजीकरण कराया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्तानुसार प्रस्ताव अनुमोदनार्थ निष्पादक समिति के समक्ष प्रस्तुत है।	अनुमोदन किया गया।

3

प्रस्ताव संख्या- 03 (संशोधित)अनुमोदन
किया गया।

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् की निष्पादक समिति की दिनांक 13.07.2017 को आयोजित होने वाली 23 वीं बैठक के एजेन्डा में क्रम संख्या 03 पर अंकित परिषद् की संस्थापन/प्रशासन शाखा द्वारा परिषद् के राज्य कार्यालय में नव पदस्थापित उपायुक्त को कार्य निष्पादन हेतु त्रुटिवश एम.आई.एस. एवं सहायक सेवा के एक-एक पद सृजन हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया था। वर्तमान में परिषद् के राज्य कार्यालय हेतु स्वीकृत एम.आई.एस. का एक रिक्त पद उपलब्ध है जिस पर प्रतिनियुक्ति अथवा प्लेसमेन्ट एजेन्सी से एम.आई.एस. उपलब्ध करवाया जा सकता है। अतः पूर्व प्रस्ताव में संशोधन करते हुए नव पदस्थापित उपायुक्त को कार्य निष्पादन हेतु केवल सहायक सेवा का एक पद सृजित किये जाने की आवश्यकता है।

क्रम संख्या	नाम सेवा	पूर्व के अतिरिक्त वांछित सेवा संख्या	मासिक किरा (प्रति सेवा)
1	सहायक सेवा	01 (एक)	5000 /-

अतः उक्तानुसार परिषद् में नव पदस्थापित उपायुक्त को कार्य निष्पादन हेतु केवल सहायक सेवा का एक पद सृजित किये जाने का संशोधित प्रस्ताव एवं उक्त मासिक शुल्क के अतिरिक्त सेवा प्रभार एवं सेवाकर, सेवाप्रदाता एजेन्सी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के सकल मूल्य पर पृथक से दिया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्तानुसार प्रस्ताव अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है

(जस्सा राम चौधरी)
अतिरिक्त आयुक्त,

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा, परिषद्,
जयपुर।